

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

http://rajpatrahimachal.nic.in

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 17 अक्तूबर, 2022 / 25 आश्विन, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 06 अक्तूबर, 2022

संख्याः राजस्व—घ/(एफ) 4—7/2020—(कुल्लू).——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील सैंज, जिला

#### निर्वाचन विभाग

दिनांक— शिमला—171009 <u>17 अक्तूबर, 2022</u> 25 आश्विन, 1944 (शक)

#### अधिसूचना

संख्याः 3—23/2022—ई0एल0एन0.——यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 8 जनवरी, 2023 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात उसकी पदाविध के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों पर, राज्य में नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल, एतद्द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें।

राज्यपाल के आदेश से और नाम से,

**आर0 डी0 धीमान** मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।

#### **ELECTION DEPARTMENT**

Dated: Shimla-171009

17th October, 2022 25th Asvina, SAKA 1944

#### **NOTIFICATION**

**No. 3-23/2022-ELN.—WHEREAS,** in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, unless sooner dissolved, shall continue upto and including the **08th January**, **2023**, and shall thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

**WHEREAS**, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh;

**NOW**, **THEREFORE**, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the said Act, the Governor of the State of Himachal Pradesh is hereby pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of Governor,

R. D. DHIMAN, *Chief Secretary*.

#### निर्वाचन विभाग

दिनांक— शिमला—171009 <u>17 अक्तूबर, 2022.</u> 25 आश्विन, 1944 (शक)

#### अधिसूचना

संख्या 3—23/2022—ई.एल.एन.—2946.——भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 464/हि0प्र0—वि०स०/2022, दिनांक 17 अक्तूबर, 2022 तदानुसार 25 आश्विन, 1944 (शक्), जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप धारा (2) और धारा 30 और 56 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में जारी की है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।

आदेश से,

मनीष गर्ग मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

# भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

<u>दिनांक 17 अक्तूबर, 2022</u> 25 आश्विन, 1944 (शक)

## अधिसूचना

सं0 464 / हि0प्र0-वि0स0 / 2022.— यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप—धारा (2) के अधीन जारी तथा 17 अक्तूबर, 2022 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें:

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:—

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र में उक्त निर्वाचन—क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:——

(क) नाम—निर्देशन करने की अंतिम तारीख : 25 अक्तूबर, 2022 ( मंगलवार );

(ख) नाम—निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 27 अक्तूबर, 2022 (वीरवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख : 29 अक्तूबर, 2022 (शनिवार);

(घ) वह तारीख, जिसको यदि : 12 नवम्बर, 2022 (शनिवार); आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन : 10 दिसम्बर, 2022 (शनिवार ); और सम्पन्न कर लिया जाएगा।

(आ) **08.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न** तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, राहुल शर्मा प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग।

\_\_\_\_\_

### ELECTION COMMISSION OF INDIA NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

<u>Dated: 17th October, 2022</u> 25th Asvina, SAKA 1944

#### **NOTIFICATION**

No. **464/HP-LA/2022.**—**WHEREAS**, the Governor of the State of Himachal Pradesh has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the **17th October**, **2022**, been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

- (A) APPOINTS, with respect to the said election in each of the Assembly Constituencies
  - i. the **25th October**, **2022** (**Tuesday**), as the last date for making nominations;
  - ii. the 27th October, 2022 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
  - *iii.* the **29th October**, **2022 (Saturday)**, as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - *iv.* the **12th November, 2022 (Saturday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - v. the **10th December**, **2022 (Saturday)**, as the date before which the election shall be completed; and
- **(B) Fixes the hours** from **8.00 A.M. to 5.00 P.M**., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for election.

By order,

RAHUL SHARMA, Principal Secretary Election Commission of India.